

अधिकारी उपस्थापित।

२३

(१.) शम्भु कुमार एवं (२.) सुधीर कुमार यर्मा दोनों के पिता स्व० प्रफुल यम, निवास स्थान गाम-कर्वेकला, अमृतगढ़, पोर्ट-कोरा, थाना-मुण्डसिल, जिला-हजारीबाग छाता छोटबागपुर कारतकारी अधिनियम, १९०८ की धारा-४६ के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, औजा-कर्वेलुर्द, थाना नं०-१२२, खाता संख्या-१५, प्लॉट संख्या-३७२, एक्वा ०.०६ एकड़ (०६ डिसमिल) भूमि अनिल। देवी पति सुरेन्द्र महसो, निवास स्थान गाम-शुकचुको, पोर्ट-अटकाडीह, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के शाथ भूमि दिली करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रभाण-पत्र की छाताप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन याद संख्या-२२०/२०२२ प्राप्त कर कार्यालय पत्रांक १०३९/८० दिनांक ०७.०३.२०२२ छाता अंचल अधिकारी, सदर को आम हस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का द्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम हस्तेहार में किसी भी व्यवित छाता आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग छाता जौंच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

यिक्रेता एवं छोटा पिछ्डा यर्म के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के नियाली हैं। आवेदित भूमि खतियान से लागिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किलमै ऐच्चती है। खतियानी रैथत मुंडील कहार है। खतियान के अनुसार धारित युल रक्क्या ४.६७ एकड़ भूमि है। पंजी-॥ के पृष्ठ संख्या-१७/V पर भुंडिल कहार, लुरुक कहार के नाम से एक्वा ३.४५६५ एकड़ की जमांदी दर्ज है। लगान इसी घर्ष २०१४-१५ तक निर्जन है। आवेदक जमांदी रैथत के पोता है। आवेदक छाता धारित युल रक्क्या ०.७६ एकड़ भूमि है। दिली की अनुमति लिलने के पश्चात् एक्वा ३.३९६५ एकड़ भूमि बचता है। यिक्रेता को भूमि दिली करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/बन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। यात्र ही B.R Act Section ५h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कक्षा में है।

प्रश्नगत भूमि का द्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में

आदेश की घटना
संख्या
उग्रेर लाईज़

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्यालय
टिप्पणी

१

२

प्रस्तावित भूमि का घोषणा भी अंकित किया गया है। यद्यपि 2022-23 तक निर्णय लगाने वसीद की प्रति प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग छाता विक्रेता को छोटानागपुर कारखानारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की विक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) शम्भु खुमार एवं (2.) सुधीर खुमार यर्मा दोनों के पिला स्व० प्रफुल राम, निवास स्थान याम-कर्वेकला, अमृतनगर, पोस्ट-कोर्ट, थाना-मुण्डसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर यात्रकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेसुर्ट, थाना नं०-१७२, खाता रंख्या-१५, प्लॉट संख्या-३७२, रक्कड़ ०.०६ एकड़ (०.६ डिसमिल) (झँ डिसमिल) भूमि अविक्षा देवी पति सुरेन्द्र महलो, निवास स्थान याम-घुकचुको, पोस्ट-अठकाढ़ीह, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि खिल्की हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई याप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग १६/१२

अपर समाहर्ता, हजारीबाग १६/१२